न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–202/2017–18 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

युधवीर सिंह पुत्र स्व0 रणवीर सिंह, निवासी–ग्राम तिघरी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– धरमवीर सिंह, 2. यशवीर सिंह पुत्रगण स्व0 रणवीर सिंह, निवासी–ग्रामतिघरी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, 3. सोनिया कंवर पुत्री यशवीर सिंह, निवासी–ग्राम तिघरी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार, 4. ग्राम सभा बुक्कनपुर, विकासखण्ड व तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री टी0एस0 बिन्द्रा।

अधिवक्ता कैविएटर : श्री विजय कुमार गुप्ता।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, कैम्प देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–27/2017–18 धरमसिंह आदि बनाम युधवीर सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 25–04–2018 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 32/3 क्षेत्रफल 4.9340 है0 स्थित ग्राम तिघरी, परगना ज्वालापुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के सहखातेदार हैं जिसके सम्बन्ध में एक बंटवारा वाद अन्तर्गत धारा–176 जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर के न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 17–04–2018 को अस्थायी व्यादेश पारित कर पक्षकारों को मौके पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 धरमवीर सिंह द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है तथा आदेश दिनांक 25–04–2018 से निगरानी ग्रहण कर सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 17–04–2018 के प्रभाव को स्थगित किया गया है। विद्वान अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्ता एवं कैविएटर के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर द्वारा जो अस्थायी व्यादेश आदेश दिनांक 17–04–2018 को पारित किया गया है वह नितान्त अर्न्तवर्ती आदेश है जिसके विरूद्ध विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी पोषणीय नही थी। विद्वान अपर आयुक्त ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण की है तथा अर्न्तवर्ती आदेश दिनांक 17–04–2018 के प्रभाव को स्थगित किया है। कैविएटर उक्त आदेश के विरूद्ध उसे वापस लेने हेतु सहायक कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकता था। दूसरी ओर कैविएटर के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, लक्सर द्वारा पारित अस्थायी व्यादेश आदेश दिनांक 17–04–2018 बिना उन्हें सुने पारित किया गया है जो अंतिम आदेश है तथा उसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय थी। विद्वान अपर आयुक्त ने जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह अगली तिथि तक के लिए पारित किया है। निगरानीकर्ता आगामी तिथि को अवर निगरानी न्यायालय के समक्ष इस आदेश के सम्बन्ध मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अतः यह एक अन्तरिम एवं अर्न्तवती आदेश है।

यद्यपि यह निगरानी जिस आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है वह एक अन्तरिम एवं अर्न्तवर्ती आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी विधितः पोषणीय नही है एवं निगरानीकर्ता इस आदेश को वापस लेने हेतु विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता था परन्तु यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में पारित जिस आदेश से उत्पन्न हुई है वह निगरानी भी अन्तरिम एवं अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है जो कि ग्राह्य एवं पोषणीय नही थी इस निगरानी में आक्षेपित आदेश धारा–333 जं0वि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम के प्रयोनार्थ निस्तारित मामले अथवा कार्यवाही (suit or proceeding decided) की श्रेणी में नही आता है। कैविएटर को चाहिए था कि वह विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–04–2018 को वापस लेने हेतु उन्हीं के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते/कर सकते हैं लेकिन उनके द्वारा ऐसा न कर सीधे अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि समयपूर्व एवं अपरिपक्व थी अतः पोषणीय नही थी। तद्नुसार उक्त प्रत्यक्ष विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 25–04–2018 अपास्त होने तथा प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर को प्रति प्रेषण योग्य है।

आदेश

निगरानी बिना अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखो को अभियाचित किये स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 25–04–2018 अपास्त कर प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश दिनांक 17–04–2018 को वापस लिये जाने हेतु यदि कैविएटर द्वारा उनके समक्ष विधिवत

आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वे उस पर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 17–04–2018 को वापस लेने, यथावत रखने, परिवर्तित करने अथवा संशोधित करने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित करेंगे। पक्षकार दिनांक 29–05–2018 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **09–05–2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)